

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2022—वैशाख 6, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ 1-2/2022/एक(1)-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड(2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य(आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, --

(1) शीर्षक-"अइसठ- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग" के अधीन-

(क) भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए, अर्थात :- -

"15- राम पथगमन के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास"

(2) शीर्षक-"तीस- संस्कृति विभाग" के अधीन-

(क) भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में अनुक्रमांक-29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात:-

"30. राम पथगमन के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ-1-2-2022-एक-(1) .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-2022-एक-(1), दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 26th April 2022

F-1-2-2022-One (1) .- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule,-

(1) Under the heading "LXVIII- Religious Trusts and Endowments Department",-

(a) In part (A) Matters of Policy dealt within the Department, the following serial number and entries relating thereto shall be omitted, namely:-
"15- Development of areas falling in the region of Ram Pathgaman."

(2) Under the heading "XXX- Culture Department",-

(a) In part (A) Matters of Policy dealt within the Department, after serial number 29 and entries relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely :-

"30. Development of areas falling in the region of Ram Pathgaman."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GIRISH SHARMA, Dy. Secy.